

**राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर**

क्रमांक:- मुसप्र/2016/1064

दिनांक:- 8-1-16

**आदेश**

आवासीय योजना, खण्ड-अजमेर के अधीन किशनगढ़ एवं नसीराबाद योजनाओं में निर्मित आवासों का नियमानुसार निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार विशेष अभियान 2015-16 के तहत निर्देशानुसार खुली ब्रिकी/किराया कय/नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	किशनगढ़ आवासीय योजना	EWS/घरोदा	1-F-10, 1-F-17, 1-K-11, 1-P-22, 1-Q-11, 1-R-3, 1-R-11, 1-L-4	8
		MIG-A	1-C-17, 1-E-24,	2
		HIG	1-1, 1-11	2
1.	नसीराबाद आवासीय योजना, अजमेर	EWS/घरोदा	5/69, 5/83, 5/87, 5/93, 5/95, 5/96, 5/98, 5/100, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/111, 5/112, 5/114, 5/116, 5/117, 5/118, 5/119, 5/120, 5/121, 5/123, 5/124, 5/127, 5/135, 5/137, 5/141, 5/143, 5/145, 5/190, 5/195, 5/196, 5/209, 5/211, 5/213, 5/216, 5/217, 5/218, 5/221, 5/228, 5/233, 5/235, 5/237, 5/238, 5/239, 5/240, 5/242, 5/243, 5/249, 5/250, 5/253, 5/255, 5/258, 5/259, 5/370, 6/155, 6/173, 6/204, 6/53, 6/54, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/61, 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 6/72, 6/73, 6/74, 6/76, 6/77, 6/80	77
		LIG	5/13, 5/266, 5/293, 5/307, 5/308, 6/220, 6/221, 6/222, 6/223, 6/224	10
		MIG-A	1/62, 1/68, 1/72, 2/63, 4/164, 4/166, 4/167, 4/169, 4/173, 4/176, 4/177, 4/178, 4/179, 5/28, 2/126, 5/37	16
		MIG-B	1/26, 4/26	02
		HIG	2/15, 3/16, 3/17, 3/18, 4/1	05
		<b>कुल आवास</b>	<b>122</b>	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय जयपुर निम्न शर्तों के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. आवासों का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है।

**विशेष अभियान 2015-16**

6. पूर्व पंजीकृत आवेदको द्वारा नकद/किराया क्य पद्धति से आवेदन किये जाने की स्थिति में यदि दोनो पद्धति से आवेदन प्राप्त होते है तो नकद भुगतान पद्धति के आवेदक को वरियता दी जायें।
7. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.33/मुसप्र/खुली ब्रिकी/10-11/2107 दिनांक 12.11.10 की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 146-147/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

8. खुली ब्रिकी योजना के अन्तर्गत आवासो के निस्तारण की सूचना सप्ताहिक इस प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा 14-15/एन पर अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महादेय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, रा0आ0म0 जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर रा0आ0म0 अजमेर।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)